अनुदान संख्या 79 - विद्युत मंत्रालय
GRANT No. 79 - MINISTRY OF POWER

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	18421,11,00		18421,14,00	10210,44,22	-8210,69,78
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					5350,20,30
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	13,11,00		23,11,00	23,11,00	..
पूरक	Supplementary	10,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1 अनुदान के राजस्व खंड में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचतें/अधिक व्यय हुई/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	234400.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-234401.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"					
विद्युत	Power					
मू.	O.	1602111.00				
पू.	S.	2.00		1301811.60	1015776.91	-286034.69
पु.	R.	-300301.40				

(I) छह शीर्षों के तहत ₹400402.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹400400.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों से संबंधित हैं :–

(I) Provision of ₹400402.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2022) remained wholly unutilised under six heads; of these ₹400400.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" – "पारेषण और वितरण निर्देशन और प्रशासन – विद्युत प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण" – ₹234400.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों में आंशिक निधि के पुनर्विनियोजन और शेष राशि के अभ्यर्पण के कारण।

(A) Major Head "2552" - "Transmission and Distribution Direction and Administration-Strengthening of Power Systems" - ₹234400.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "2801" –

(क) "तापीय विद्युत उत्पादन – आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अन्य व्यय–विनिर्माण क्षेत्र" – ₹10000.00 लाख – वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती और परियोजना योजना, कार्यान्वयन और बोली प्रक्रिया में देरी के कारण।

(ख) "पारेषण और वितरण – आरक्षित निधि में स्थानांतरण – सीआर एंड आईएफ से आईपीडीएस योजना में स्थानांतरण" – ₹155000.00 लाख – केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा फंड (सीआर एंड आईएफ) के उपयोग को बंद करने के कारण वित्त

(B) Major Head "2801" -

(a) "Thermal Power Generation - Other Expenditure-Manufacturing Zones under Atmanirbhar Bharat Package" - ₹10000.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to delay in project planning, implementation and bidding process.

(b) "Transmission and Distribution - Transfer to Reserve Fund- Transfer to IPDS Scheme met from CR&IF" - ₹155000.00 lakhs- due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance

मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती करने के कारण।

(ग) “सामान्य–अन्य व्यय–वैश्विक निविदा में शिपिंग कंपनियां” – ₹1000.00 लाख – मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई द्वारा जारी का गई वैश्विक निविदा के लिए भारतीय शिपिंग कंपनियों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को बंद करने के प्रस्ताव के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कमी के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष “2801” के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई :–

(का) “जल विद्युत उत्पादन–अन्य व्यय” –

(क) पाकलडुल प्रोजेक्ट–जेकेएसपीडीसीएल” – ₹103106.00 लाख (₹145598.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत – भारी बारिश/बर्फबारी, खनन परमिट प्रदान करने में देरी जिससे सीएफआरडी (बांध) भरने का काम, टीबीएम एडिट पोर्टल पर निकासी कार्य प्रभावित हुआ और ठेकेदारों की श्रमिकों की हड़ताल, के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती करने के कारण हुई।

(ख) “सीपीएसयू को सहायता” – जलवायु कारकों और विभिन्न मंजूरी बाधाओं के कारण परियोजना को मंजूरी न मिलने के कारण ₹5300.00 लाख (₹5698.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान के मुकाबले) की बचत हुई।

(खा) “पारेषण और वितरण” –

(क) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – सुधार से संबद्ध वितरण योजना” – ₹92746.79 लाख की बचत (₹124625.35 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

owing to discontinuation of utilisation of Central Road and Infrastructure Fund (CR&IF).

(c) “General- Other Expenditure - Shipping Companies in Global Tender” - ₹1000.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to proposal for closure of the subsidy provided to Indian Shipping Companies for global tender floated by Ministries/Departments/CPSEs.

(II) Under Major Head “2801” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Hydel Generation-Other Expenditure” -

(a) “Pakal Dul Project-JKSPDCL” - saving of ₹103106.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹145598.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to heavy rainfall/snowfall, delay in according mining permit affecting the CFRD (Dam) filling works, hampering of evacuation work at TBM Adit Portal and Contractors labour strike.

(b) “Assistance to CPSU” - saving of ₹5300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5698.00 lakhs) was due to non-sanctioning of project owing to climatic factors and various clearance hurdles.

(B) “Transmission and Distribution” -

(a) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Reform Linked Distribution Scheme” - saving of ₹92746.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹124625.35 lakhs);

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना– सुधार से संबद्ध वितरण योजना" – ₹38935.54 लाख की बचत (₹58408.90 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ग) "अन्य व्यय" –

(i) "सुधार से संबद्ध वितरण योजना" – ₹351033.93 लाख की बचत (₹573524.75 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपरोक्त तीन शीर्षों के तहत बचत राज्यों की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम)/विभागों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्राप्ति में देरी के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती करने के कारण हुई।

(ii) "बिजली प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" – ₹998.47 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹61864.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चंडीगढ़ परियोजना को राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) के दायरे से बाहर करने और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के बिजली विभाग में निजीकरण किए जाने के कारण कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) "ग्रामीण विद्युतीकरण–दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना–ग्रामीण विद्युतीकरण और फीडर पृथक्करण" – ₹4194.93 लाख की बचत (₹236292.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी बांड के कम ब्याज के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती करने के कारण हुई।

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Reform Linked Distribution Scheme" - saving of ₹38935.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹58408.90 lakhs); and

(c) "Other Expenditure" -

(i) "Reform Linked Distribution Scheme" - saving of ₹351033.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹573524.75 lakhs).

Savings under the above three heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to delay in receipt of detailed project report from the States distribution companies (DISCOMs)/Departments.

(ii) "Strengthening of Power Systems" - saving of ₹998.47 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹61864.00 lakhs including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023) was due to receipt of less claims owing to dropping of Chandigarh project from scope of National Smart Grid Mission (NSGM) and privatization being followed in the power department of the Union Territory of Chandigarh.

(C) "Rural Electrification - Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojna-Rural Electrification and Feeder Separation" - saving of ₹4194.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹236292.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to payment of less interest on the bond issued by Rural Electrification Corporation Limited .

(घा) "सामान्य" –

(क) "प्रशिक्षण– अनुसंधान और प्रशिक्षण" – ₹3564.68 लाख (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत, नेशनल पावर प्रशिक्षण संस्थान से कम दावे प्राप्त होने के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती करने के कारण हुई।

(ख) "अनुसंधान और विकास–अनुसंधान और प्रशिक्षण" – ₹12780.96 लाख की बचत (₹30277.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में), केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान की ओर से कम दावों की प्राप्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती करने के कारण हुई।

(ग) "विद्युत प्रशासन अधिनियम 2003 – वैधानिक प्राधिकारणों" में ₹7281.52 लाख की बचत (₹35892.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में), पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत कॉरपोरेशन के भवन निर्माण के प्रस्ताव के अनुमोदित न होने के कारण रिक्त पदों को न भरने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती करने के कारण हुई।

(घ) "ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 का प्रशासन – संरक्षण और ऊर्जा दक्षता" – ₹13284.07 लाख की बचत (₹21000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में), विश्व बैंक से दावे प्राप्त न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती करने के कारण हुई।

(ड) "अन्य व्यय – अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामले से संबंधित भुगतान" – ₹1600.97 लाख की बचत (₹2800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में), अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के प्रति कम दावा प्राप्त

(D) "General" -

(a) "Training - Research and Training" - saving of ₹3564.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to receipt of less claims from National Power Training Institute.

(b) "Research and Development- Research and Training" - saving of ₹12780.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30277.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to receipt of less claims from Central Power Research Institute.

(c) "Administration of Electricity Act 2003 - Statutory Authorities" - saving of ₹7281.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35892.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to non-approval of proposal for building construction of Western Regional Power Corporation (WRPC).

(d) "Administration of Energy Conservation Act, 2001 - Conservation and Energy Efficiency" - saving of ₹13284.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21000.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from World Bank and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(e) "Other Expenditure - Payment pertaining to international arbitration case" - saving of ₹1600.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2800.00 lakhs) was due to

होने के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती करने के कारण हुई।

2.(I) उपरोक्त बचत का आंशिक रूप से (₹72056.67 लाख) उपयोग निम्नलिखित मुख्य शीर्ष "2801" के तहत दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए किया गया था, जिसकी सूचना संसद को पहले ही दे दी गई थी :–

(का) "पारेषण और वितरण" –

(क) "निदेशन और प्रशासन – उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के लिए विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना" – ₹47450.00 लाख। हालाँकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹45971.05 लाख था।

(ख) "विद्युत प्रणालियों का विकास – राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र – विद्युत प्रणाली विकास के लिए योजना पीएसडीएफ से पूरी की जाएगी" – ₹19306.67 लाख। हालाँकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹17344.10 लाख था।

(खा) "सामान्य–अन्य व्यय – लोहारी नागपाला" – ₹5300.00 लाख।

(II) मुख्य शीर्ष "2801" – "पारेषण और वितरण – निदेशन और प्रशासन" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत की भरपाई भी अधिक व्यय से की गई :–

(का) "अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करना" – ₹110071.25 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान के मुकाबले); और

(खा) "विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के लिए विश्व बैंक अनुदान" – ₹36106.10 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में)।

reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to receipt of less claims towards International Arbitration.

2.(I) The above savings were partly (₹72056.67 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in December, 2022 and March, 2023 under Major Head "2801" - under the following heads:-

(A) "Transmission and Distribution" -

(a) "Direction and Administration - Power System Improvement Project for NER" - ₹47450.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹45971.05 lakhs.

(b) "Development of Power Systems - National Load Despatch Centre - Scheme for Power System Development to be met from PSDF" - ₹19306.67 lakhs. Actual excess, however, was ₹17344.10 lakhs.

(B) "General - Other Expenditure - Lohari Nagpala" - ₹5300.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2801" - "Transmission and Distribution - Direction and Administration" - under the following heads:-

(A) "Strengthening of Transmission System in the States of Arunachal Pradesh and Sikkim" - excess of ₹110071.25 lakhs (against nil provision); and

(B) "World Bank Grant for Power System Improvement Project for NER" - excess of ₹36106.10 lakhs (against nil provision).

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय राशि उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों में निधियों के पुनर्विनियोजन के कारण थी।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.